नियम 86 : दस्तावेजों को चिहिनत करना

(1) प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को निम्न प्रकार चिह्मित किया जाएगाः

(क) यदि अपीलार्थी या याचिकाकर्ता पक्ष उन पर अवलंबित है, तो उन्हें 'ए' श्रृंखला के रूप में क्रमांकित किया जाएगा;

(ख) यदि प्रत्यर्थी पक्ष उन पर अवलंबित है, तो उन्हें 'बी' श्रृंखला के रूप में चिह्मित किया जाएगा; और

(ग) अपील अधिकरण के प्रदर्शों को 'सी' श्रृंखला के रूप में चिह्मित किया जाएगा।

(2) अपील अधिकरण आवेदक को अभिलेखों के प्रेषण के लिए व्यय को वहन करने के लिए पर्याप्त राशि ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपील अधिकरण में जमा करने का निर्देश दे सकता है।